पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 245/2020

1. नरेन्द्र पुत्र कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
2. नरेश कुमार पुत्र कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. कृष्ण पुत्र उदमी जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
2. माया पुत्री कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
3. सरोज पुत्री कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
4. बाला पुत्री कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
5. सुरेखा पुत्री कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जगदीश महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जाटान के खाता सं0 34/34 के खसरा सं0 298 की 8.220है0, खसरा सं0 367 की 6.2980है0 कुल 14.5180है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण के नाम से 734 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 नरेन्द्र व वादीगण सं0 2 नरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.02.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 245/2020

1. नरेन्द्र पुत्र कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
2. नरेश कुमार पुत्र कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. कृष्ण पुत्र उदमी जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
2. माया पुत्री कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
3. सरोज पुत्री कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
4. बाला पुत्री कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।
5. सुरेखा पुत्री कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव **: वादी**
वकील श्री जगदीश महला **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 09.02.2021**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा जाटान के खाता सं0 34/34 के खसरा सं0 298 की 8.220है0, खसरा सं0 367 की 6.2980है0 कुल 14.5180है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण के नाम से 734 हिस्सा व रोही जाटानल के खाता सं0 20/19 के खसरा सं0 366/1 की 2.5290है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण के नाम खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता उदमी की खातेदारी हुआ करती थी। उदमी से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकारान से साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:09 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु नरेन्द्र पुत्र कृष्ण जाति यादव (अहीर) निवासी जाटान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जाटान खाता सं0 संवत 2077—80 खाता सं0 34/34 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही जाटान खाता सं0

Scanned with CamScanner

20/19 प्रदर्श 2, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2029–38 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जाटान 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर, वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने जाटान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में कृष्ण के दो पुत्र नरेन्द्र व नरेश कुमार व 4 पुत्री माया, सरोज, बाला, सुरेखा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही जाटान के खाता सं0 20/19 के खसरा सं0 366/1 की 2.5290है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण के नाम यथावत रखते हुए रोही मोजा जाटान के खाता सं0 34/34 के खसरा सं0 298 की 8.220है0, खसरा सं0 367 की 6.2980है0 कुल 14.5180है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण के नाम से 734 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जाटान के खाता सं0 34/34 के खसरा सं0 298 की 8.220है0, खसरा सं0 367 की 6.2980है0 कुल 14.5180है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण के नाम से 734 हिस्सा बारानी खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 नरेन्द्र व वादीगण सं0 2 नरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:09 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner